अर्ध शा० पत्र सं०: एड्स सोसा०/GIPA/Coordination/101112-101245
101281-101328
101333-101400
101403-101429

प्रदीप शुक्ला
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
516, विकास भवन, लखनऊ - 226001
(का0) : 0522-2627029
(फैक्स) : 0522-2625449

दिनांक: 27 अप्रैल, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालनार्थ एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित राज्य एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की सफलता के प्रभावी आंकलन हेतु एच.आई.वी./एड्स रोगियों की सुरक्षा एवं देखभाल के साथ-साथ चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है; जिसे दृष्टिइंगित कर राष्ट्र एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम में Post Exposure Prophylaxis का प्राविधान रखा गया है; इसके अनुसार किसी एच.आई.वी./एड्स रोगी का उपचार करते समय यदि कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी के रक्त अथवा शारीरिक द्रव्य के सम्पर्क में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए Post Exposure Prophylaxis के अर्न्तगत उन्हे निःशुल्क एन्टीरिट्रोवायरल औषधि प्रदान किए जाने की सुविधा प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त Universal Precautions का सदुपयोग तथा अनुकरण कर बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एडस से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जा सकता है; किन्तु विभिन्न जनपदों में प्रायः यह देखा/पाया जा रहा है कि या तो एच.आई.वी./एडस से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु मना कर दिया जा रहा है; या फिर उपचार प्रदत्त करने से पहले उन्हें अन्यत्र जनपदों के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों को स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र संख्या T-11020/29/1998/NACO(Admin ART) दिनांक 26 अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बिन्दु 10 तथा 11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि;-

बिन्दु 10:-"*All Doctors, nurses and hospital staff, whether in public sector or private sector shall treat PLHAs in a professional and humane manner, treating them always with dignity and care. No Doctor or nurse shall refuse to treat a PLHA on account of his/her positive status. In treating a PLHA, there shall be no discrimination or stigma whatsoever.*"

बिन्दु 11:-"*Doctors in the private sector, in particular, are directed to immediately familiarize themselves with the NACO's comprehensive protocol and policies with regard to care and treatment, which are available on NACO website.*

NACO approved ART regimen have proven to be cost effective, safe and PLHAs have shown good response to these regimen. The private practitioners should use these cost effective regimen in the first instance and other regiments should be prescribed only in case where these cannot be used for the reasons of toxicity/failure etc. The Medical Council of India and the Consumer Courts are to take a strict view of private practitioners who take advantage of exorbitant amounts. Irrational prescriptions using wrong dosages/wrong combinations shall be dealt with severely and appropriate action taken."

उपर्युक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय एवं प्राइवेट चिकित्सकीय प्रबन्धन में तत्काल प्रभाव से बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एडस से संक्रमित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का अपेक्षित उपचार (**प्रसव सहित**) दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें; यदि इस विषय पर किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विषय में मौखिक अथवा लिखित शिकायत पाई गई तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाएगी।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(प्रदीप शुक्ला)

कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
समस्त मेडिकल कालेज
मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका
समस्त जनपद एवं जिला चिकित्सालय

प्रतिलिपिः- समस्त जिला अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार बिन्दु 11 के अनुपालन में अपने जनपद के समस्त प्राइवेट चिकित्सालय प्रबन्धन को निर्देशित करने हेतु।

(प्रदीप शुक्ला)